राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

समेश्वर बनाम हेमराज

तारीख हुक्म	1170/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पर एवं अपील पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाये जाने एवं दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। चूँकि अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति दौराने बहस व्यक्त की है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। उभयपक्षों को जरिये अभिभाषक यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 17/12/2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर